

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-432 दिनांक-13.03.2026 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री राजेश कुमार भगत (आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक-406/24), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-023/2026 दिनांक-23.02.2026, धारा-7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किये जाने एवं निगरानी धावा-दल द्वारा दिनांक-24.02.2026 को परिवादी से 10,000/- (दस हजार) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी प्राप्त सूचना एवं प्रतिवेदित गंभीर आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1476 दिनांक-25.03.2026 द्वारा इन्हें कारा-निरोध की तिथि से निलंबित किया गया।

उल्लेखनीय है कि उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा श्री भगत के कारागार से रिहा होने के उपरान्त निर्धारित मुख्यालय में योगदान दिये जाने संबंधी उपलब्ध करायी गयी सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-3208 दिनांक-17.06.2026 द्वारा इनके समर्पित योगदान को योगदान की तिथि से स्वीकृत एवं अनुमोदित करते हुए उक्त तिथि से ही इन्हें निलंबन मुक्त किया गया। साथ ही, समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-3211 दिनांक-17.06.2026 द्वारा श्री भगत को आदेश निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया गया।

2. उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-1087 दिनांक-13.07.2026 द्वारा श्री भगत के विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-023/2026 दिनांक-23.02.2026 दर्ज किये जाने एवं परिवादी श्री राम एकबाल सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से 10,000/- (दस हजार) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने तथा इनका कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के उल्लंघन करने तथा अन्य आरोपों के लिए उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में विभाग स्तर से आरोप पत्र पुनर्गठित कर इनसे लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी। इस क्रम में इनके द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत श्री भगत के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु उप निदेशक (खाद्य), (आयुक्त कार्यालय), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी कर्मी/पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही पूरी कर तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन निष्कर्ष/मंतव्य सहित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही, श्री भगत को निदेश है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके समक्ष उपस्थित होंगे।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(रजेश कुमार भगत)
सरकार के नियुक्त सचिव।

ज्ञापांक— प्र08—गो0आ0(समस्तीपुर)—08/2026— 5876 /खाद्य, पटना/दिनांक— 21/09/26

प्रतिलिपि— 1. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (निगरानी विभाग), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. उप निदेशक (खाद्य), (आयुक्त कार्यालय), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर—सह—संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्य की प्रति तथा श्री भगत द्वारा समर्पित बचाव बयान की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. उप सचिव, प्रशाखा-03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बांका एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर—सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्य तथा श्री भगत द्वारा समर्पित बचाव बयान की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8. आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9. श्री राजेश कुमार भगत (आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक—406/24), निलंबित आपूर्ति निरीक्षक (निलंबन अवधि में मुख्यालय—जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, बांका), E-Mail : rajeshravibhagat@gmail.com, Mobile No. 8678858251 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उपभोक्ता सचिव।